"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 187] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 19 जुलाई 2012—आषाढ़ 28, शक 1934

परिवहन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 जुलाई 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-17/आठ-परि./2012.—मोटरयान अधिनियम, 1988 (क्रमांक 59 सन् 1988) की धारा 67 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2703/परि/वि./2010, दिनांक 12 अक्टूबर, 2010 में आंशिक परिवर्तन करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,—

1. निर्देश क्रमांक 2 के खण्ड (घ) में, शब्द "बीस प्रतिशत अधिक" के स्थान पर, शब्द "बाईस प्रतिशत अधिक" प्रतिस्थापित किया जाये.

2. निर्देश क्रमांक 2 के खण्ड (ङ) में, शब्द "पांच प्रतिशत अधिक" के स्थान पर, शब्द "पांच दशमलव पांच प्रतिशत अधिक" प्रतिस्थापित किया जाये.

3. निर्देश क्रमांक 2 के खण्ड (च) में, शब्द "पच्चीस प्रतिशत अधिक" के स्थान पर, शब्द "सत्ताईस दशमलव पांच प्रतिशत अधिक" प्रतिस्थापित किया जाये.

4. निर्देश क्रमांक 2 के खण्ड (छ) में, शब्द "तीस प्रतिशत अधिक" के स्थान पर, शब्द "तैंतीस प्रतिशत अधिक" प्रतिस्थापित किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विलियम कुजूर, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 19 जुलाई 2012

क्रमांक एफ 5-17/आठ-परि./2012.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 19-07-2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विलियम कुजूर, उप-सचिव.

Raipur, the 19th July 2012

NOTIFICATION

No. F 5-17/VIII-Tr./2012.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 67 of the Motor Vehicle Act, 1988 (No. 59 of 1988), and in partial modification of this Department's Notification No. 2703/परि.वि./2010, dated 12th October, 2010, the State Government hereby, makes the following amendment in the said notification, namely :—

AMENDMENT

In the said notification,—

1. In clause (d) of direction No. 2, for the words "Twenty percent excess" the words "Twenty two percent excess" shall be substituted.

2. In clause (e) of direction No. 2, for the words "Five percent excess" the words "Five point five percent excess" shall be substituted.

3. In clause (f) of direction No. 2, for the words "Twenty five percent excess" the words "Twenty seven point five percent excess" shall be substituted.

4. In clause (g) of direction No. 2, for the words "Thirty percent excess" the words "Thirty three percent excess" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
WILLIAM KUJUR, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.